प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 06.09.2026

गाज़ियाबाद पुलिस की मानवीय और सकरात्मक पहल :परिवार परामर्श केंद्र ने बिखरते परिवार को टूटने से बचाया, पति-पत्नी में कराया समझौता

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध) के मार्गदर्शन में महिला सुरक्षा, कल्याण एवं पारिवारिक विवादों के त्वरित व सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.09.2026 को परिवार परामर्श केंद्र गाजियाबाद को सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है। अनुभवी परामर्शदाताओं (काउंसलर्स) व पुलिस स्टाफ की टीम ने अपनी सूझबूझ और अथक प्रयासों से पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद को अत्यंत गरिमापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाते हुए दंपति को पुनः एक साथ रहने के लिए राजी किया गया

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण एवं त्वरित कार्रवाई: उल्लेखनीय है कि आवेदिका/प्रथम पक्ष श्रीमती प्राची (काल्पनिक नाम) निवासी: भौपुरा थाना टीला मोड गाजियाबाद द्वारा द्वितीय पक्ष श्री निशांत निवासी: तुलसी निकेतन भौपुरा थाना टीला मोड के विरुद्ध घरेलू कलह, आपसी वैचारिक मतभेद और दहेज प्रताड़ना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र महिला थाना गाजियाबाद में दिनांक 06.06.2026 को प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर महिला थाना प्रभारी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे तुरंत प्राथमिकता के आधार पर 28.06.2026 परिवार परामर्श केंद्र (काउंसलिंग सेल) को सुपुर्द किया गया। पुलिस टीम व काउंसलिंग सेल की प्रभावी कार्रवाई: प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र के नेतृत्व में काउंसलिंग टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर परिवार परामर्श केंद्र पर आमंत्रित किया गया। टीम ने दोनों पक्षों की शिकायतों और समस्याओं को अत्यंत धैर्यपूर्वक सुना। दोनों के मध्य व्याप्त गलतफहमियों, कड़वाहट और वैचारिक मतभेद को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक व व्यावहारिक रूप से काउंसलिंग की गई। पुलिस व कॉउन्सलर के निष्पक्ष और सकारात्मक रुख से प्रभावित होकर दोनों पक्ष अपनी पुरानी शिकायतों को भुलाकर पुनः दिनांक-01.09.2026 से एक साथ नया जीवन शुरू करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए।

- सेवा, सुरक्षा, समर्पण के मूल मंत्र के साथ पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने और पारिवारिक बंधनों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
- बिखरते परिवार को जोड़ना और समाज में आपसी सोहार्द बनाए रखना ही सकरात्मक परिवार परामर्श केंद्र का असली उद्देश्य है एक खुशहाल परिवार ही एक सुरक्षित समाज की नीव है।

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से बिना नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

दिनांक 05.09.2026 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त रोहित उपाध्याय पुत्र दीपक उपाध्याय हाल निवासी बम्हेटा लाल कुआँ थाना वेवसिटी मूल निवासी ग्राम खिदीड़ा जनपद बागपत, उम्र करीब 19 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से बिना नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद हुयी। उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में थाना मोदीनगर पर सुसंगत धारा- 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह बाइक मैंने करीब 01 महीने पहले दिल्ली से चोरी की थी और इसे अभी तक मैनें छिपाकर रखा था। मैं इसे बेचने के लिए जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोहित उपाध्याय पुत्र दीपक उपाध्याय हाल निवासी बम्हेटा लाल कुआँ थाना वेवसिटी मूल निवासी ग्राम खिदीड़ा जनपद बागपत, उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से बिना नम्बर प्लेट लगी चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर उपरोक्त चोरी की मोटरसाइकिल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया व दिल्ली में मोटरसाइकिल चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

गाज़ियाबाद पुलिस की मानवीय और सकरात्मक पहल :परिवार परामर्श केंद्र ने बिखरते परिवार को टूटने से बचाया,पति-पत्नी मे कराया समझौता

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट गाजियाबाद के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त (महिला अपराध) के मार्गदर्शन में महिला सुरक्षा, कल्याण एवं पारिवारिक विवादों के त्वरित व सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत दिनांक 01.09.2026 को परिवार परामर्श केंद्र गाजियाबाद को सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है। अनुभवी परामर्शदाताओं (काउंसलर्स) व पुलिस स्टाफ की टीम ने अपनी सूझबूझ और अथक प्रयासों से पति पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद को अत्यंत गरिमापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाते हुए दंपति को पुनः एक साथ रहने के लिए राजी किया गया

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण एवं त्वरित कार्रवाई: उल्लेखनीय है कि आवेदिका/प्रथम पक्ष श्रीमती सोनल (काल्पनिक नाम) निवासी: आश्रम रोड थाना नंदग्राम गाजियाबाद द्वारा द्वितीय पक्ष श्री कुणाल निवासी: दीनदयालपूरी थाना नंदग्राम के विरुद्ध घरेलू कलह, आपसी वैचारिक मतभेद और दहेज प्रताड़ना के संबंध में एक प्रार्थना पत्र महिला थाना गाजियाबाद में दिनांक 21.08.2026 को प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर महिला थाना प्रभारी द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे तुरंत प्राथमिकता के आधार पर 23.08.2026 परिवार परामर्श केंद्र (काउंसलिंग सेल) को सुपुर्द किया गया। पुलिस टीम व काउंसलिंग सेल की प्रभावी कार्रवाई: प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र के नेतृत्व में काउंसलिंग टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को नोटिस भेजकर परिवार परामर्श केंद्र पर आमंत्रित किया गया। टीम ने दोनों पक्षों की शिकायतों और समस्याओं को अत्यंत धैर्यपूर्वक सुना। दोनों के मध्य व्याप्त गलतफहमियों, कड़वाहट और वैचारिक मतभेद को दूर करने के लिए मनोवैज्ञानिक व व्यावहारिक रूप से काउंसलिंग की गई। पुलिस व कॉउन्सलर के निष्पक्ष और सकारात्मक रुख से प्रभावित होकर दोनों पक्ष अपनी पुरानी शिकायतों को भुलाकर पुनः दिनांक-01.09.2026 से एक साथ नया जीवन शुरू करने के लिए सहर्ष तैयार हो गए।

- सेवा, सुरक्षा, और समर्पण के मूल मंत्र के साथ पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने और पारिवारिक बंधनों को सुरक्षित रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
- बिखरते परिवार को जोड़ना और समाज मे आपसी सोहार्द बनाए रखना ही सकरात्मक परिवार परामर्श केंद्र का असली उद्देश्य है एक खुशहाल परिवार ही एक सुरक्षित समाज की नीव है।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा
“महिला वालंटियर फोर्स (MVF)” का गठन

महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण की दिशा में सामुदायिक सहभागिता को मिलेगा नया आयाम

गाजियाबाद में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पुलिस एवं समाज के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा “महिला वालंटियर फोर्स (Mahila Volunteer Force–MVF)” के गठन की पहल की जा रही है।
इस पहल के अंतर्गत समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय एवं अनुभवी महिलाओं को MVF से जोड़ा जाएगा। इनमें डॉक्टर, अधिवक्ता, शिक्षिकाएं, समाजसेवी, गृहिणियां, काउंसलर, उद्यमी एवं अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाएं शामिल होंगी। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े विषयों पर पुलिस के साथ मिलकर सामुदायिक स्तर पर प्रभावी कार्य करना है।

MVF की प्रमुख भूमिका:-

महिला वालंटियर्स द्वारा पुलिस के साथ निकट समन्वय में कार्य करते हुए—

- महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित समस्याओं को पुलिस तक पहुंचाने में सहयोग करेंगी।
- महिला सुरक्षा एवं अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
- जरूरतमंद महिलाओं को उपलब्ध सरकारी योजनाओं एवं सहायता तंत्र की जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगी।
- महिला संबंधी मामलों में आवश्यकता पड़ने पर काउंसलिंग एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने में सहायता करेंगी।
- विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं अन्य संस्थानों में महिला सुरक्षा एवं साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता कार्यक्रमों में सहयोग करेंगी।
- स्थानीय स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित समस्याओं एवं चुनौतियों को पुलिस के संज्ञान में लाने में सेतु (Bridge) के रूप में कार्य करेंगी।
- महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षित वातावरण के निर्माण के लिए पुलिस के साथ मिलकर विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेंगी।

MVF के माध्यम से समाज की जागरूक एवं सक्रिय महिलाओं को इस अभियान से जोड़कर महिला सुरक्षा के लिए एक मजबूत Police–Community Partnership विकसित की जाएगी।

वर्तमान में कमिश्नरेट गाजियाबाद के विभिन्न थानों क्षेत्रों से महिलाओं को MVF के लिए चिन्हित किया गया है। थाना स्तर पर गठित यह नेटवर्क स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप महिला सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी गतिविधियों में पुलिस का सहयोग करेगा।
यह पहल "सुरक्षित महिला–सशक्त समाज" की संकल्पना को मजबूत करने की दिशा में कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस का एक महत्वपूर्ण कदम है।

महिला वालंटियर कमिश्नरेट गाजियाबाद

क्र0 सं0	थाना	संख्या
1	कोतवाली नगर	27
2	विजयनगर	42
3	कविनगर	20
4	सिहानी गेट	26
5	नंदग्राम	25
6	मधुबन बापूधाम	25
7	वेवसिटी	26

8	क्रॉसिंग रिपब्लिक	26
9	इंदिरापुरम	25
10	खोड़ा	14
11	साहिबाबाद	21
12	लिंक रोड	26
13	टीलामोड़	39
14	कौशांबी	21
15	शालीमार गार्डन	25
16	लोनी	25
17	ट्रोनिका सिटी	20
18	लोनी बॉर्डर	20
19	अंकुर विहार	25
20	मोदीनगर	22
21	भोजपुर	25
22	निवाड़ी	16
23	मुरादनगर	25
24	मसूरी	25
	योग	**591**

@ghaziabadpolice

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादिया द्वारा तहरीर दी गयी कि वादिया की नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष का घर से कही चले जाना तथा वापस ना आना जिसके सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल सुसंगत धारा- 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात वादिया की पुत्री को बरामद किया गया जिसके बयानों एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1) बीएनएस व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गयी जिसमें अभियुक्त रोहित कुमार का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 06.09.2026 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रोहित कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी मण्डोली थाना हर्ष विहार दिल्ली, उम्र 19 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मेरी वादिया की पुत्री के साथ पूर्व से दोस्ती थी और मैं वादिया की पुत्री को अपने साथ बहला-फुसलाकर ले गया था तथा उसके साथ गलत काम कर दिया था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

रोहित कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी मण्डोली थाना हर्ष विहार दिल्ली, उम्र 19 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी व छिनैती करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

आज दिनांक 06.09.2026 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी व छिनैती करने वाले अभियुक्त (1) शिव कुमार उर्फ पोला पुत्र बन्टी निवासी गली नं0-12 सैन विहार थाना क्रासिग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष (2) शिवम पुत्र ब्रह्म सिह उर्फ धर्म सिंह निवासी पुश्ता कॉलोनी 04 मूर्ति डूब क्षेत्र थाना बिसरख नोएडा जनपद गौतबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष को चित्रावन सोसायटी के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 01 मोटर साइकिल पैशन प्रो बरामद हुई जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगायी गयी थी, जिसके इंजन नम्बर से मोटर साइकिल को चैक किया गया तो पाया कि उक्त मोटर साइकिल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से चोरी हुई है, जिसके सम्बन्ध मे थाना विजयनगर पर अभियोग अन्तर्गत धारा 303(2) बी.एन.एस पंजीकृत होना पाया गया। अभियुक्तो से चोरी की मोटर साइकिल

बरामदगी के सम्बन्ध मे थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 317(2)/317(5)/345(3) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्तो के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तो ने पूछताछ करने पर जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि हमसे जो मोटर साइकिल बरामद हुई है इस मोटर साइकिल को हमने करीब 02 महीने पहले थाना विजयनगर क्षेत्र से चोरी की थी तथा पुलिस से बचने के लिए हमने उसकी नम्बर प्लेट को बदल कर उस पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा दी थी तथा इसी मोटर साइकिल से हम लोग राह चलते लोगो से उनका मोबाइल फोन आदि छीन लेते है तथा राह चलते व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर कर सस्ते दामो पर मोबाइल फोन को बेचकर अपने नशे का शोक पूरा करते है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

(1) शिव कुमार उर्फ पोला पुत्र बन्टी निवासी गली नं0-12 सैन विहार थाना क्रासिग रिपब्लिक गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

(2) शिवम पुत्र ब्रह्म सिह उर्फ धर्म सिंह निवासी पुष्ता कालौनी 04 मूर्ति डूब क्षैत्र थाना बिसरख नोएडा जनपद गौतबुद्धनगर उम्र 23 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

(1) थाना विजयनगर से चोरी की गयी मोटर साइकिल पैशन प्रो

(2) मोटर साइकिल पर लगी फर्जी नम्बर प्लेट

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग –

अभियुक्तो के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना विजयनगर गाजियाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग अभियुक्त शिव कुमार उर्फ पोला पर कुल 02 अभियोग व अभियुक्त शिवम उपरोक्त के विरुद्ध थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना विजयनगर गाजियाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 01 अभियोग, थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद पर चोरी से सम्बन्धित 02 अभियोग **कुल 06 अभियोग** पंजीकृत होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा 3.25 बिटक्वाइन व 29 इथिरियम क्रिप्टो के साइबर फ्रॉड में लिप्त 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्री नितिन सिंघल निवासी मुरादनगर थाना मुरादनगर गाजियाबाद के साथ आकाश बंसल नामक व्यक्ति के द्वारा क्रिप्टो करेन्सी ट्रेडिंग व इन्वेस्टमेन्ट के नाम पर 3.25 बिटक्वाइन व 29 इथिरियम करीब 3.5 करोड़ रूपये मूल्य की साइबर ठगी की घटना के सम्बन्ध में थाना साइबर क्राइम कमिश्नरेट गाजियाबाद में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी।

थाना साइबर क्राइम टीम द्वारा विवेचना के क्रम में उपरोक्त अभियोग की घटना कारित करने वाले अभियुक्त आकाश बंसल निवासी म0 नं0 1/1564, चतुर्थ तल, मोतीराम रोड, राम नगर, मानसरोवर पार्क थाना मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली को थाना क्षेत्र मानसरोवर पार्क दिल्ली से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण -

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसके द्वारा श्री नितिन सिंघल को क्रिप्टो करेन्सी में इन्वेस्ट/ ट्रेडिंग करने में बेहद मुनाफा होने का प्रलोभन दिया गया तथा अभियुक्त द्वारा नितिन सिंघल को उसके नाम पर क्रिप्टो करेन्सी वॉलेट बनाकर उसमें क्रिप्टो करेन्सी जमा कर ट्रेडिंग करने का विश्वास दिया गया । अभियुक्त के प्रलोभन में आकर श्री नितिन सिंघल द्वारा स्वयं तथा अपने मित्रों के करीब 3.5 करोड़ रूपये अभियुक्त के बताये अनुसार क्रिप्टो करेन्सी

वॉलेट में 3.25 बिटक्वाइन व 29 इथिरियम खरीदकर जमा कर दिये गये। अभियुक्त ने श्री नितिन सिंघल को धोखा देते हुए उसके नाम पर क्रिप्टो करेन्सी वॉलेट न बनाकर अपने नाम पर बनाये गये क्रिप्टो करेन्सी वॉलेट में क्रिप्टो करेन्सी जमा करा ली। बाद में अभियुक्त द्वारा इन क्रिप्टो करेंसी को नरोत्तम तथा अमन को बेचकर पैसे कैश में ले लिये गये तथा क्रिप्टो करेंसी वॉलेट को डिलीट कर दिया गया। अभियुक्त ने श्री नितिन सिंघल को बताया कि उसका क्रिप्टो करेंसी वॉलेट हैक हो गया तथा सारी क्रिप्टो करेंसी हैक कर किसी ने निकाल ली। अभियुक्त के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट की डिटेल एक्सचेन्ज से मंगवायी गयी। एक्सचेन्ज से प्राप्त डिटेल से अभियुक्त द्वारा किये गये साइबर फ्रॉड के साक्ष्य मिले। अभियुक्त के इस अपराध में उसकी पत्नी मनीषा बंसल भी शामिल है।

अभियुक्त को दिनांक 05.09.2026 को थाना क्षेत्र मानसरोवर पार्क दिल्ली से गिरफ्तार किया गया तथा न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेजा गया।

अभियुक्ता मनीषा बंसल, नरोत्तम तथा अमन की तलाश की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त गण का विवरण- आकाश बंसल पुत्र श्री नीरज बंसल निवासी म0 नं0 1/1564, चतुर्थ तल, मोतीराम रोड, राम नगर, मानसरोवर पार्क थाना मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली उम्र 39 वर्ष शिक्षा 8 वीं।

गिरफ्तारी स्थान - थाना क्षेत्र मानसरोवर पार्क दिल्ली।

गिरफ्तारी करने वाली टीम- थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गाजियाबाद।

-::DRINK & DRIVE अभियान::-

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के आदेश के क्रम में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था/यातायात) महोदय के कुशल निर्देशन में दिनांक **05.09.2026** को पुलिस उपायुक्त यातायात एवं अपर पुलिस उपायुक्त यातायात के पर्यवेक्षण में गाजियाबाद यातायात पुलिस द्वारा एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। यह अभियान समय रात्रि **20:00** बजे से लेकर **24:00** बजे तक शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों, चौराहों और संवेदनशील स्थानों (शिप्रा मॉल, गौर ग्रीन, राजनगर एक्सटेंशन, आरडीसी, मॉडल टाउन आदि) पर पूरी मुस्तैदी के साथ संचालित किया गया। अभियान के दौरान पुलिस टीमों द्वारा 'ब्रैथ एनालाइजर' **(Breath Analyzer)** के माध्यम से संदिग्ध वाहन चालकों की सघन चेकिंग की गई। शराब पीकर वाहन चलाने वाले **(Drink & Drive)** चालको के साथ-साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य वाहनों के विरुद्ध भी कठोर प्रवर्तन की कार्रवाई की गई।

अभियान के दौरान की गई मुख्य कार्यवाही का विवरण :

- **ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन चलाना): 165 चालान**

अभियान का मुख्य उद्देश्य-

इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाना, हुड़दंगियों पर लगाम कसना तथा आमजन के लिए सुरक्षित यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराना है। गाजियाबाद पुलिस द्वारा वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का निष्ठापूर्वक पालन करें। शराब पीकर वाहन चलाना न केवल स्वयं के जीवन को खतरे में डालता है, बल्कि सड़क पर चल रहे अन्य निर्दोष नागरिकों के लिए भी अत्यंत घातक है। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा भविष्य में भी इस प्रकार के औचक और सख्त चेकिंग अभियान निरंतर जारी रहेगा।

अपील-

आम जनमानस से अपील की जाती है कि शराब पीकर वाहन न चलाएं, क्योंकि आपकी यह एक भूल आपके परिवार और सड़क पर चल रहे किसी निर्दोष नागरिक की जान खतरे में डाल सकती है। गाजियाबाद पुलिस आपसे अनुरोध करती है कि जिम्मेदार नागरिक बनें और यातायात नियमों का निष्ठापूर्वक पालन कर सड़कों को सुरक्षित बनाने में सहयोग करें।

गाजियाबाद पुलिस सुरक्षित एवं सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कर्तव्य-निष्ठ होकर संकल्पित है।